हरिभूमि
इस्पात भूमि - Page 4
14 July 2025

हॉस्पिटल सेक्टर के अनफिट आवासों को जमींदोज किए जाने का रास्ता साफ

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भिलाई

उच्च न्यायालय बिलासपुर ने हॉस्पिटल सेक्टर में भिलाई इस्पात संयंत्र के अनफिट आवासों को गिराने पर 8 साल का स्थगनादेश हटा दिया है। कोर्ट ने सम्पदा न्यायालय को मामले को 6 महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में 302 याचिकाकर्ता थे। ये सभी अनधिकृत कब्जाधारी पिछले 8 साल से मुफ्त बिजली और पानी का उपयोग कर रहे थे।

- हाई कोर्ट ने नौ साल पुराना स्टे आर्डर किया रद्द

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बीएसपी के पक्ष में हास्पिटल सेक्टर के रहवासी कब्जाधारियों के स्टे को रद्द कर दिया है। मामले में बीएसपी के संपदा न्यायालय को छह महीने के अंदर निपटाने का आदेश दिया है। यहां अनफिट ब्लाकों में 666 आवासों अनधिकृत रूप से कब्जा है। गौरतलब हो कि वर्ष 2016 में बीएसपी के प्रवर्तन अनुभाग के तोड़ू दस्ते ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में भारी लावलश्कर के साथ सेक्टर 9 हास्पिटल की पीछे हुडको के निकटस्थ हास्पिटल सेक्टर में बीएसपी आवासों मे रहे अवैध कब्जाधारियों को हटाने बेदखली कार्रवाई की थी। लेकिन रहवासियों ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध किया था। सैकड़ों रहवासी बुलडोजरों के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन किए थे। व्यापक विरोध और कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होते देख बेदखली कार्रवाई रद्द करनी पड़ी थी। इस दौरान अनधिकृत रूप से रह रहे कब्जाधारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत की गुहारी लगाई थी। रिट में रहवासियों ने रिटायर बीएसपी कर्मियों व परिजनों, मजदूर, अटेंडेंस व झाड़ू पोंछा लगाने आदि गरीब तबके का होने का हवाला देते हुए मदद की अपील की थी। कोर्ट ने 2016 में इन अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों के पक्ष में स्टे दिया था।

दस साल पूर्व अनफिट घोषित हो गए थे मकान

हास्पिटल सेक्टर के 33 बीएसपी आवासीय ब्लाकों में आज भी लोग कब्जा कर रह रहे हैं। यहां 666 मकान हैं। साठ के दशक में बने सभी आवास जर्जर हो चुके हैं। इसे देखते हुए बीएसपी ने वर्ष 2013 में इन्हे सुरक्षा की दृष्टि से अनफिट घोषित कर दिया था। जर्जर होने से हादसे और बिजली पानी के रूप में नुकसान को देखते हुए बीएसपी ने 9 साल पूर्व आवासों में बेदखली कार्रवाई शुरू की थी। प्रबंधन सूत्रों के मुताबिक अब स्टे रद्द होने से आगे इन ब्लाकों को जमींदोज किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है।